पत्रांक– 01 / स्टे०–03–12 / 2026...56 / 31.

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651–2400981, फैक्स:0651–2400982, ई–मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

राँची, दिनांक 06-07-2026

विषयः– **गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखण्ड / अंचल के ग्राम पंचायत–कैथिया, ग्राम–शाहपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 40,00,000 / – (चालीस लाख) मात्र निधि का आवंटन।**

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 08 / रा०, दिनांक–29.04.2026 तथा प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–47 / रा०, दिनांक–25.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक– 97 / खेल, दिनांक– 28.03.2026 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष–03–खेलकूद तथा युवा सेवा – लघु शीर्ष –102– खेलकूद स्टेडिया– उपशीर्ष –22– स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन– विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– प्राथमिक इकाई– 45– निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 40,00,000 / – (चालीस लाख) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोडः 52S42020310222000545)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5
1	उपायुक्त, गोड्डा	बसंतराय प्रखण्ड / अंचल के ग्राम पंचायत–कैथिया, ग्राम–शाहपुर में स्टेडियम निर्माण	83,04,550 / –	40,00,000 / –
		कुल	83,04,550 / –	40,00,000 / –

(चालीस लाख) रूपये मात्र।

3. उपायुक्त, गोड्डा द्वारा योजना का क्रियान्वयन उनके कार्यालय पत्रांक– 97 / खे०, दिनांक– 28.03.2026 के साथ संलग्न अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–552 / रा०, दिनांक–25.03.2026 द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर बगैर स्थल परिवर्त्तन के नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गोड्डा होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, गोड्डा की जायेगी।
5. उपायुक्त, गोड्डा द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में विभागीय मॉडल प्राक्कलन (जो अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका द्वारा तकनीकी स्वीकृत है) (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विषयांकित योजना दिनांक–30.06.2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाएगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।
8. उपायुक्त, गोड्डा द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन करने के क्रम में चिन्हित स्थल पर सूचना पट्ट (जिसमें प्रशासी विभाग का नाम, कार्यकारी एजेंसी एवं संवेदक का नाम, एकरारित राशि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि दर्ज हो) अधिष्ठापित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्टेडियम को संबंधित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के माध्यम से जाँचोपरान्त निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

11. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक–17.04.98 एवं कोषागार संहिता के नियम–174 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–1955, दिनांक–19.08.05 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

12. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

13. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

14. उपायुक्त, गोड्डा समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव
राँची, दिनांकः 06-07-2026

ज्ञापांक :- 56/311

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, गोड्डा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 1/ST-03-12/2026/-56 **दिनांक -** 06-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 42020310222000545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा 102 - खेलकूद स्टेडिया 22 - स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	38391	GDDDAD020 INDER KUMAR EST. DY. COLLECTOR GODDA 45 - निर्माण कार्य	4,000,000.00 रुपये चालीस लाख

State Scheme : CONSTRUCTION & UPGRADATION OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL STADIUM/ASTROTURF SWAMI VIVEKANAND MONUMENT/NCC BUILDING & SPORTS INFRASTRUCTURE(1787)

Centeral Scheme :

योग: रुपये चालीस लाख 4,000,000.00

क्रमिक योग:

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 6/7/2026